न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–06/2022

1. अमरसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 47 वर्ष पेशा ड्राईवरी निवासी चक 14 बारानी तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पं0स0 नोहर।
2. मदन लाल पुत्र श्री पूर्णमल जाति गुसाईं निवासी चक 14 बारानी तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. ग्राम पंचायत चक 22 एन.टी.आर. जरिए सरपंच तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ ।

–अप्रार्थीगण

4. हनुमान पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 43 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी चक 14 बारानी तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित:– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–02
श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–04

निर्णय दिनांक:– 31/10/2023

प्रार्थी अमरसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 बारानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्ध निर्णय दिनांक अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति नोहर जिसमें अपील संख्या 24/2001 अनवानी अमरसिंह बनाम मदनलाल आदि अस्वीकार कर खारीज की गई,को निरस्त कर पट्टा खारिज करवाने बाबत निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. प्रार्थी चक 14 बारानी का स्थाई निवासी व मजदूरी पेशा है। प्रार्थी के दादा (श्री च्यानणसिंह) के समय का ग्राम पंचायत 22 एन.टी.आर. के चक 14 बारानी की आबादी भूमि में 60X100 = 6000 फुट माप के भूखण्ड पर आज से करीब 50 वर्ष पूर्व

31.10.2023
अतिरिक्त (जिला कलक्टर)
नोहर (हनुमानगढ़)

से कब्जा है। प्रार्थी के दादा (श्री च्यानणसिंह) ने अपने जीवन काल में उपरोक्त कब्जा शुदा भूखण्ड में रिहायशी मकान बनाएं एवं रिहायश की। प्रार्थी के दादा (श्री च्यानणसिंह) का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता (श्री भंवरसिंह) व प्रार्थी के भाई (श्री हरिसिंह) व तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 (हनुमान) संयुक्त रूप से अपने आधिपत्य में लेकर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर बने मकान में रिहायश करते रहे हैं। प्रार्थी के पिता (श्री भंवरसिंह) का सन् 1996 में देहान्त हो चुका है। प्रार्थी का भाई (श्री हरिसिंह) दिनांक 31.12.2019 को बिना शादी, लाऔलाद देहान्त हो चुका है। प्रार्थी, प्रार्थी का भाई (हरिसिंह, हनुमान) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित कब्जा शुदा मकान का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया। उक्त बंटवारा अनुसार उक्त कुल भूखण्ड के दक्षिणी तरफ का 30 X 60 = 1800 फुट नाप का भूखण्ड प्रार्थी के मृतक भाई (हरिसिंह) के हिस्से में आया। उक्त भूखण्ड के चिपते उत्तरी तरफ व कुल भूखण्ड के मध्य का 30 X 60 = 1800 फुट माप का भूखण्ड तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 (हनुमान) के हिस्सा में व शेष उत्तरी तरफ का 40 X 60 = 2400 फुट माप का भूखण्ड प्रार्थी के हिस्सा में आया। तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 (हनुमान) व प्रार्थी के भाई (हरिसिंह) ने अपने उपरोक्त कब्जा शुदा भूखण्ड का अपने अपने हिस्से तक का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत 22 एन. टी. आर. में निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत 22 एन. टी. आर. द्वारा हनुमान के हिस्सा का उनके नाम से पट्टा सं. 8 दिनांक 27.06.2017 निःशुल्क जारी किया हुआ है। इसी प्रकार श्री हरिसिंह के हिस्सा का पट्टा सं. 9 दिनांक 27.06.2017 निःशुल्क जारी किया हुआ है। उपरोक्त पट्टों की चित्र प्रति अपील के साथ पेश की। प्रार्थी जो ड्राईवर पेशा है, जो अक्सर अपना वाहन लेकर बाहर जाता रहता है द्वारा अपने हिस्सा का पट्टा ग्राम पंचायत से अपने पक्ष में जारी करवाने हेतु आवेदन नहीं कर सका परन्तु अपने हिस्से में आये भूखण्ड को अपने आधिपत्य में लेकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के हिस्सा में आये भूखण्ड की चतुसीमाओं में उत्तर में सड़क, दक्षिण में हनुमान, पूर्व में सड़क व पश्चिम में खाली भूखण्ड व माप उत्तर–दक्षिण 40–40 फुट व पूर्व–पश्चिम 60–60 फुट है। प्रार्थी के उक्त कब्जा शुदा भूखण्ड की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 के नाम से अप्रार्थी सं. 3 सरपंच ग्राम पंचायत 22 एन. टी. आर. से मिलकर प्रार्थी के आधिपत्य, अधिकार व हित की भूमि पर अपीलाधीन पट्टा बनवा लिया एवं अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी की आधिपत्य, अधिकार व हित की भूमि पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को वादग्रस्त प्लॉट पर अपना हक जताने का कारण पूछा तो वह आना–कानी करता रहा। फिर अपील पेश करने से तीन दिन पूर्व दबाव देकर अप्रार्थी सं. 2 से पूछने पर उसने पट्टे की फोटो प्रति प्रार्थी की ओर फेंकते हुए कहा कि मेरे पास प्रार्थी के आधिपत्य, अधिकार व हित के भूखण्ड का पट्टा है। इसलिए वह यह

31.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जगह अपनी बता रहा है तब उक्त अपीलाधीन पट्टा का प्रार्थी को ज्ञान हुआ। प्रार्थी के आधिपत्य, अधिकार व हित के भूखण्ड में पूर्व में तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 का पट्टे शुदा भूखण्ड सामिलाती रहा है। इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 4 (हनुमान) के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन पट्टा ग्राम पंचायत 22 एन. टी. आर. द्वारा जिस भूखण्ड बाबत् जारी किया है उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 के कब्जा में नहीं है और ना ही कभी रहा है। अपीलाधीन पट्टा जिस भूमि बाबत बना हुआ है वह भूमि प्रार्थी के आधिपत्य, अधिकार व हित की है जो प्रार्थी के पूर्वजों के समय से उन्हीं के आधिपत्य में है एवं प्रार्थी के शेष भाईयों के पक्ष में उक्त कुल भूखण्ड में से उनके हिस्सा तक का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.06.2017 को पट्टे भी जारी किये हुए है। अपीलाधीन पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में गलत बनाया गया है। इसलिए उक्त पट्टा को निरस्त किया जावे आदि–आदि। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के मौखिक व दस्तावेजी कथनों को दरकिनार कर अप्रार्थी सं. 2 व 3 के राजनैतिक प्रभाव की वजह से अपील प्रार्थी खारिज की, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर निगरानी पेश कर रहा है –

1. निगरानी कृत निर्णय दिनांक 07.04.2022 अपील सं. 24/2021 बअनवान अमर सिंह बनाम मदनलाल आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. प्रार्थी के उक्त कब्जा शुदा भूखण्ड की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 के नाम से अप्रार्थी सं. 3 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अवैधानिक रूप से पट्टा सं. 40 दिनांक 02.09.2019 जारी कर दिया। जबकि भूखण्ड उपर वर्णित अनुसार प्रार्थी के पूर्वजों के समय से उनके आधिपत्य अधिकार एवं हित का रहा है एवं वर्तमान में भी प्रार्थी के आधिपत्य, हक व अधिकार में है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के उक्त तथ्यों की बिना जांच किये अपील प्रार्थी खारीज की जो निर्णय विधि विरूद्ध होने पर अपास्तनीय है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब नहीं किया, बिना रिकार्ड तलब किये निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।
3. प्रार्थी द्वारा पेश अपील में विवादित पट्टा स. 40 दिनांक 02.09.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम से जारी है राजस्थान पंचायत राज के तहत प्रारूप 23 के नियम 157 (1) के तहत जारी शुदा है उक्त नियम के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने कब्जा शुदा मकान निर्मित होने की सूरत में ही जारी किया जा सकता है,जबकि उक्त वादगत भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 के कभी आधिपत्य में नहीं रहा, ना ही वर्तमान में है। उक्त

31.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की अपील खारिज की जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

4. प्रार्थी द्वारा अपील के समर्थन में प्रार्थी के भाईयों के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की प्रति पेश की गई थी। उक्त पट्टों का अवलोकन न कर अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव के चलते अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी अवैधानिक पट्टे को खारिज ना कर अपील प्रार्थी खारिज की, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्तनीय है तथा स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा एक पक्षीय तौर से मौका रिपोर्ट तैयार की है। कब्जा बाबत सही तौर से जांच नहीं की। दस्तावेजी साक्ष्य शपथ–पत्र को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ–पत्र बिना जिरह के अथवा काउण्टर के शपथ–पत्र के केवल रद्दी कागज हैं, जिनके आधार पर मातहत अदालत अदालत ने विधि की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।
5. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का गहनता से अवलोकन नहीं किया। मातहत अदालत ने प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए गैर कानूनी निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।
6. मेवासिंह पुत्र सांवरराम जाति स्वामी से रेस्पो. 2 द्वारा खरीद करना बताया है परन्तु मेवासिंह का वाद स्थल से कोई सरोकार ही नहीं है। मेवासिंह का वाद स्थल या कोई हक हिस्सा होना प्रमाणित नहीं केवल नुमाईशी खरीद के आधार पर पट्टा गैर कानूनी है मातहत अदालत मेवासिंह का उदम स्त्रोत क्या था, उक्त तथ्यों की जांच नहीं की इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।
7. प्रार्थी को निर्णय की सूचना होते ही निर्णय की नकल हेतु आवेदन पेश किया गया। जिस पर प्रार्थी को दिनांक 04.05.2022 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थी द्वारा बिना किसी अनुचित देरी के निगरानी पेश कर रहा है, जो अन्दर मियाद है। अतः निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 07.04.2022 निरस्त कर पट्टा खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 3 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या–02 की ओर से श्री महेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या–03 की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवाकेट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से श्री मदनमोहन जोशी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के दादा के

31.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

समय 22 एन.टी.आर. की आबादी भूमि में रिहायश थी। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के दादा की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी के पिता भंवरसिंह के कब्जे में है। आपसी सहमती से बंटवारा में 40 X 60 (उतरी भाग प्रार्थी के हिस्से में आया) हनुमान और हरिसिंह के पट्टे वर्ष 2017 में बन गया। प्रार्थी ट्रक ड्राईवर है। अतः आवेदन करने का समय नहीं मिला। अप्रार्थी संख्या–02 ने सरपंच से मिलकर मदनलाल ने पट्टा बनवा लिया। प्रस्तुत अपील में दिनांक 07.04.2022 को हमारे विरूद्ध निर्णय हुआ। उसी की निगरानी माननीय न्यायालय हाजा में जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय की कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में 3 सदस्यों के हस्ताक्षर है परन्तु न पक्षकार मौजूद है और न ही रिपोर्ट बनाई गई। अप्रार्थी संख्या–02 के नाम से पट्टा राजस्थान पंचायती राज के तहत प्रारूप 23 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी सिद्ध नहीं होता है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी सिद्ध नहीं होता है। उक्त धारा में पुराने कब्जे का नियमन होता है जबकि रिपोर्ट में खाली भूखण्ड बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा है एंव भूखण्ड मेवासिंह से खरीदशुदा है। अब इस भूखण्ड से मेवासिंह का कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शपथ–पत्र कर्ताओ के कोई बयान नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीधीन भूखण्ड अप्रार्थी संख्या–02 का कब्जाशुदा है। इसका कोई तथ्य नहीं है कि 40 X 60 का भूखण्ड इनको कैसे मिला, यह नहीं बताया है। प्रार्थी यहां नहीं रहता है उसको अपने भाईयों के पट्टो के खिलाफ कार्यवाही करनी थी, जबकि उसने मेरे खिलाफ नहीं। प्रार्थी द्वारा किस आधार पर निगरानी पेश की गई, मौके व दस्तावेजो के अनुसार प्रस्तुत नहीं की। एफ.आई. आर. क्यों नहीं करवाई, अगर फर्जी पट्टा है तो। मेरा कमरा बना है और पट्टा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मौका देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में कोई सबूत भी पेश नहीं किया है। मौके पर काबिज हूँ। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि मौका रिपोर्ट से यह जाहिर नहीं होता है कि उक्त भूखण्ड किसके कब्जे में है, ना ही मौका रिपोर्ट हेतू नोटिस जारी है और न ही मौका फर्द कायम की गई है। ऐसे में इस प्रकार की मौका रिपोर्ट निर्णय हेतू मान्य नहीं है। साथ ही पत्रावली में संलग्न शपथ–पत्रों में सभी शपथ कर्त्ताओं ने स्वंय को अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) का पड़ौसी बताया है जबकि मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है न ही शपथ कर्त्ताओं की संपरीक्षा की

31.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गई है। यह शपथ किसके समक्ष ली गई, यह भी कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे शपथ–पत्रों के आधार पर लिए निर्णय को भी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार दोनों ही तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट मदनलाल का कब्जा सिद्ध नहीं होता है। बिना कब्जे के आधार पर जारी पट्टे अन्तर्गत प्रारूप– 23(क) नियम 157(1) पर प्रश्न चिन्ह कारित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की वृहद् अनदेखी के कारण निगरानी अधीन निर्णय काबिले खारिज है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है और निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 07.04.2022 एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–02 का पट्टा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 31.10.2023 सरेइजलास सुनाया गया।

31.10.2023

चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)